संख्या-32/2026/I/1250502/2026/001-71-2099/807/2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-26-02-2026

विषयः-संस्थान परिसर में स्थित लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, पी0एम0एस0एस0वाई0 भवन में स्मोक एक्सट्रैक्शन, प्रेसराइजेशन एवं फायर चेक डोर कार्य से सम्बन्धित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/इले0/एफ0एफ0-172/403/2025, दिनांक 03.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में स्थित लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, पी0एम0एस0एस0वाई0 भवन में स्मोक एक्सट्रैक्शन, प्रेसराइजेशन एवं फायर चेक डोर कार्य से सम्बन्धित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ परिसर में स्थित लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, पी0एम0एस0एस0वाई0 भवन में स्मोक एक्सट्रैक्शन, प्रेसराइजेशन एवं फायर चेक डोर कार्य से सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 3 लाख+जी0एस0टी0 अतिरिक्त के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रु0 2126.39 लाख (जी0एस0टी0 सहित) (रूपये इक्कीस करोड़ छब्बीस लाख उन्तालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 400.00 लाख (रुपये चार करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में 800 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट एवं 600 के0वी0ए0 क्षमता का एक डी0जी0 सेट (02 डी0जी0 सेट्स की कुल लागत रु0 127.84) का प्रावधान किया गया है। निदेशक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त डी0जी0 सेट्स की क्षमता व आवश्यकता एवं औचित्य से स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त ही न्यूनतम आवश्यकतानुसार ही डी0जी0 सेट्स का क्रय किया जाये।
2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
3. परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें। ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वितीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (consumed) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/File No 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी कवालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु निदेशक, संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाये। चयनित संस्था द्वारा न्यनूतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक, संस्थान द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
8. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 18 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
9. निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
11. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।
12. प्रश्नगत प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
13. बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन हेतु वित विभाग के शासनादेश सं0- 9/2022/ए-1-357/दस-2022-10(55)/2000 दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य बाट आउट कार्य की लागत बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयुल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, संस्थान निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14. निदेशक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाये। इस समिति द्वारा निर्धारित विशिष्टयॉं/मानकों के अनुरूप ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
15. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लेकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
16. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों व अन्य निर्माण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई3-280-/दस-2025-26 दिनांक 16.02.2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-32/2026/I/1250502/2026/001-71-2099/807/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in